

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:-डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:- 420/2025

श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, मकान नं० 18, नये मुख्य डाकघर के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनू,
मो० नं० 9785865271

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर,) झुंझुनू

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 16.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 420/2025 पर दिनांक 26.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025 /4403-404 दिनांक 26.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनू ने अपने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय /सू०अ०/2025/1281 दिनांक 15.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, मकान नं० 18, नये मुख्य डाकघर के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/340 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर, भू०अ०) झुंझुनू ने अपने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू०अ०/2025/1281 दिनांक 15.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, मकान नं० 18, नये मुख्य डाकघर के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ०/2025/340 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 16.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनू